न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 63/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/129)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर। 2. जरनैल सिंह उर्फ जैला सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 3. प्रीतम सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 4. माड़ा सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 5. ज्ञान सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 6. मलकीत सिंह आयु पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 7. भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,	1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 2. गुरमेल सिंह पुत्र श्री मिला सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 3. जगदीश सिह पुत्र श्री अर्जन सिंह, जाति जटसिख, निवासी गुरूनानक एक्सरे सेन्टर, गौशाला रोड, फाजिल्का, पंजाब। 4. बलजिन्द्र सिंह पुत्र जसलाल सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 5. सुखजीत कौर पत्नी सतविन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 6. सुखपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 7. सुखमन्दर सिंह पुत्र सवला सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 8. सर्वजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह, जाति जटसिख, निवासी कुब्बेवाला, तहसील श्रीकरणपुर, 9. हरफूल सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 10. हरमन्दर सिंह पुत्र श्री सवला सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 11. करनैल सिंह पुत्र श्री सुखजीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, (मृतक) 11/1 बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह जटसिख निवासी 20 एच कोटली 11/2 मक्खन सिंह पुत्र करनैल सिंह जटसिख निवासी 20 एच कोटली 11/3 गुरतेज कौर पत्नी करनैल सिंह जटसिख निवासी 20 एच कोटली 11/4 सुखदीप कौर पुत्री करनैल सिंह जटसिख निवासी 20 एच कोटली 11/5 लखविन्द्र कौर पुत्री करनैल सिंह जटसिख निवासी 20 एच कोटली 12. गुरतेज कौर पत्नी बेअन्त सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 13. गुरदयाल सिंह पुत्र अरजन सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 14. चुन्नी पुत्री गुरदयाल सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 15. [illegible] श्री जसवन्त सिंह, जाति जटसिख, [illegible] 0 एच, तहसील श्रीकरणपुर 16. [illegible] सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 [illegible] तहसील श्रीकरणपुर, 17. नसीब कौर पुत्री अर्जन सिंह, जाति ज[illegible] निवासी म[illegible] कालावाली, तहसील डब[illegible] हरियाणा। 18. परमजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, 19. बेअन्त सिंह पुत्र अरजन सिह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

20. बक्शीश सिंह पुत्र अरजन सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर
21. बलकरण सिंह पुत्र श्री कलवन्त सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
22. बलजीत कौर पत्नी जगराज सिंह, जाति जटसिख, निवासी 37 एम एम के मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर
23. बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह, जाति रामगढ़िया, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
24. मखन सिंह पुत्र करनैल सिंह, जाति जटसिख, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
25. राजवीर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
26. लखविन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर
27. शिवनंदन सिंह पुत्र मनजीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
28. संदीप कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी 16/17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
29. सरजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, जाति जटसिख, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
30. हरबंश कौर पुत्री अर्जन सिंह, पत्नी जी.एस. सेखों, जाति जटसिख, निवासी 11 जी हारनियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
31. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह, जाति रामगढ़िया, निवासी 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर,
32. राजस्थान राज्य जरिए–तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 19.07.2021

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 17

--निर्णय-- **दिनांकः 14.03.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू गुरूसर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 12/18 के मुरब्बा नं0 10 में 4.960 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 14 में 6.325 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं0 74/4 में 0.101 हैक्टर खाला कुल रकबा 11.386 हैक्टर नहरी मय खाला में वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम 379/11386 हिस्सा, वादी संख्या 2 जैला सिंह उर्फ जरनैल सिंह के नाम 190/5693 हिस्सा, वादी संख्या 4 माड़ा सिंह के नाम 190/5693, वादी संख्या 6 मलकीत सिंह के नाम 190/5693 हिस्सा व वादी संख्या 7 भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह के नाम 379/11386 हिस्सा काश्तकार की हैसियत से अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 47/52 के मुरब्बा नं0 35 [illegible] 40 के 0.506 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं0 61 के 0.215 हैक्टर नहरी [illegible]961 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के [illegible]1961 हिस्सा, वादी संख्या 2 जरनैल सिंह के नाम 246/13727 हिस्सा व 245/[illegible] हिस्सा, वादी संख्या 3 प्रीतम सिंह के नाम 245/1961 हिस्सा व 246/13727 हिस्सा व वादी संख्या 4 माड़ा सिंह के नाम 246/13727 हिस्सा व 245/1961 हिस्सा, वादी [illegible]ख्या 5 ज्ञान सिंह के नाम 246/13727 हिस्सा व 245/1961 हिस्सा, वादी संख्या 6 मलकीत सिंह के नाम 246/13727 हिस्सा व 245/1961 हिस्सा तथा वादी संख्या 7 हरभजन सिंह उर्फ भजन सिंह के नाम 246/13727 हिस्सा व 245/1961 हिस्सा काश्तकार की हैसियत से अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 48/51 के मुरब्बा नं0 35 के 0.405 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 42 के 4.935 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 74/20 के 0.101 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं0 74/21 के 0.127 हैक्टर खाला कुल रकबा 5.568 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला में से वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम 165/928 हिस्सा व 283/9744 हिस्सा, वादी संख्या 2 जरनैल सिंह के नाम 283/9744 व 449/5568 हिस्सा, वादी संख्या 3 प्रीतम सिंह के नाम 283/9744 व 77/1856 हिस्सा, वादी संख्या 4 माड़ा सिंह के नाम 283/9744 व 123/928 हिस्सा, वादी संख्या 5 ज्ञान सिंह के नाम 283/9744 व 139/5568 हिस्सा, वादी संख्या 6 मलकीत सिंह के नाम 283/9744 व 739/5568 हिस्सा व वादी संख्या 7 भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह के नाम 739/5568 हिस्सा व 283/9744 हिस्सा काश्तकार की हैसियत से अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नं0 17 में 0.759 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 36 के 3.795 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 41 के 6.069 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 63 के 5.946 हैक्टर, मुरब्बा नं0 66 के 2.886 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 74/22 के 0.126 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं0 74/35 में 0.253 हैक्टर खाला कुल रकबा 19.837 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम 316/19837 हिस्सा, वादी संख्या 2 जरनैल सिंह के नाम 317/19837 हिस्सा, वादी संख्या 3 प्रीतम सिंह के नाम 318/19837 हिस्सा व वादी संख्या 4 माड़ा सिंह के नाम 317/19837 हिस्सा काश्तकार की हैसियत से अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 78/80 के मुरब्बा नं0 35 में कुल रकबा 0.253 हैक्टर नहरी भूमि में से वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम 31/253 हिस्सा व 32/1771 हिस्सा, वादी संख्या 2 जरनैल सिंह के नाम 32/1771 हिस्सा व 32/253 हिस्सा, वादी संख्या 3 प्रीतम सिंह के नाम 31/253 हिस्सा व 32/1771 हिस्सा व वादी संख्या 4 माड़ा सिंह के नाम 32/1771 हिस्सा व 32/253 हिस्सा, वादी संख्या 5 ज्ञान सिंह के नाम 32/1771 हिस्सा व 32/253 हिस्सा, वादी संख्या 6 मलकीत सिंह के नाम 32/1771 हिस्सा व 32/253 हिस्सा व वादी संख्या 7 हरभजन सिंह उर्फ भजन सिंह के नाम 31/253 हिस्सा व 32/1771 हिस्सा काश्तकार की हैसियत से अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। गत् 25-30 वर्षो से वादीगण घरू बंटवारा व मौखिक बंटवारा के अनुरूप से उक्त कृषि भूमि पर अपनी जोत व कब्जा के अनुसार निरंतर, निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। चूंकि उक्त कृषि भूमि गत कई वर्षो से संयुक्त खाता में दर्ज है, लेकिन उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने-अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने-अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने-अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने-अपने नाम घोषित करवाना चाहते है तथा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा की कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने-अपने नाम कायम करवाना चाहते है। खाता संख्या 12/18 में क्रमांक 6 पर वादी संख्या 2 का नाम जैला सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अन्य तमाम दस्तावेजात में वादी संख्या 2 का नाम जरनैल सिंह पुत्र चनन सिंह है। इस कारण वादी संख्या 2 को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण वादी संख्या 2 उक्त जमाबंदी में अपना नाम संशोधित करवाकर जैला सिंह उर्फ जरनैल सिंह करवाना चाहता है। जैला सिंह उर्फ जरनैल सिंह दोनो नाम वादी संख्या 2 के ही है। वादी संख्या 2 को उक्त दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर द्वारा पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। इस कारण वादी संख्या 2 द्वारा इस आशय की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खाता संख्या 12/18, 47/52, 78/80 प्रत्येक में क्रमांक 9 व खाता संख्या 48/51 में क्रमांक 11 पर वादी संख्या 7 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नाम भजन सिंह पुत्र चनन सिह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अन्य तमाम दस्तावेजात में वादी संख्या 7 का नाम हरभजन सिंह पुत्र चनन सिंह होने के कारण वादी संख्या 7 को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। इस कारण वादी संख्या 7 उक्त जमाबन्दियों में अपना नाम संशोधित करवाकर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह करवाना चाहता है। भजन सिंह व हरभजन सिंह दोनो नाम वादी संख्या 7 के ही है। वादी संख्या 7 को उक्त दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है। इस संबंध में ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर द्वारा पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। इस कारण वादी संख्या 7 द्वारा इस आशय की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता होने के कारण एक साथ एकत्रित होने में असमर्थता का हवाला देकर टाल-मटोल करते रहते है। आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये है। उसी रोज वादीगण को वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ। वादीगण ने जोत विभाजन व राजस्व अभिलेख में अपना नाम संशोधन करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर के समक्ष निवेदन किया तो माननीय न्यायालय में इस आशय का वाद प्रस्तुत कर, डिक्री पारित करवाने की हिदायत दी गई। इस कारण उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे कि चक 20 एच की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 12/18 के मुरब्बा नं0 10, 14, 74/4 की 11.386 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 47/52 के मुरब्बा नम्बर 35, 40, 61 की 1.961 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 48/51 के मुरब्बा नम्बर 35, 42,74/20,74/21 की 5.568 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41,63, 66, 74/22, 74/35, की 19.837 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 78/80 के मुरब्बा नम्बर 35 की 0.253 हेक्टैयर भूमि का वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार शेष सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाया जाकर, विभाजन में प्राप्त किलाजात प्रत्येक वादीगण के नाम, उनके हिस्सा अनुसार राजस्व अभिलेख में अलग-अलग से दर्ज करने के आदेश संबंधित विभाग को दिये जावे। खाता संख्या 12/18 में क्रमांक 6 पर वादी संख्या 2 का नाम जैला सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर जैला सिंह उर्फ जरनैल सिंह घोषित किया जाकर, इस आशय का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में करने के आदेश प्रदान किये जावें। खाता संख्या 12/18, 47/52, 78/80 प्रत्येक में क्रमांक 9 व खाता संख्या 48/51 में क्रमांक 11 पर वादी संख्या 7 का नाम भजन सिंह पुत्र चनन सिह के स्थान पर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह घोषित किया जाकर, इस आशय का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12 ता 16, 18 ता 31 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिड उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान लखविन्द्र कौर की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिड उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 11/1 ता 11/4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12 ता 16, 18 ता 31, 11/1 ता 11/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रतिवादी संख्या 11/5 व 17 का जवाबदावा बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 12/18 के मुरब्बा नं0 10, 14, 74/4 की 11.386 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 47/52 के मुरब्बा नम्बर 35, 40, 61 की 1.961 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 48/51 के मुरब्बा नम्बर 35, 42,74/20,74/21 की 5.568 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41,63, 66, 74/22, 74/35, की 19.837 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 78/80 के मुरब्बा नम्बर 35 की 0.253 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरनाम सिंह, जैला सिंह, प्रीतम सिंह, माडा सिंह, मलकीत सिंह, भजन सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 12/18 के मुरब्बा नं0 10, 14, 74/4 की 11.386 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 47/52 के मुरब्बा नम्बर 35, 40, 61 की 1.961 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 48/51 के मुरब्बा नम्बर 35, 42,74/20,74/21 की 5.568 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41,63, 66, 74/22, 74/35 की 19.837 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 78/80 के मुरब्बा नम्बर 35 की 0.253 हेक्टैयर भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (2.067 हैक्टेयर)	20 एच	14	3, 8, 13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				18,23,[illegible]	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	6.75
				17	0[illegible] हैक्टेयर	नहरी	2.25
				14	0[illegible] हैक्टेयर	नहरी	1.12
			40	22	[illegible]169 हैक्टेयर	नहरी	1.50
2	जरनैल सिंह उर्फ जैला सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (1.950 हैक्टेयर)	20 एच	35	11 ता 14	[illegible].012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				15	[illegible].228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			42	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

			74/21		0.077 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3	प्रीतम सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (0.823 हैक्टेयर)	20 एच	42	15,16,25	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			40	19	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.57
4	माड़ा सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, (1.493 हैक्टेयर)	20 एच	35	18/1	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.35
				19,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			42	5	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				6,7	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			61	2	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91
5	ज्ञान सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (0.622 हैक्टेयर)	20 एच	42	8	0.053 हैक्टेयर	नहरी	0.47
				9,10	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			40	19	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
6	मलकीयत सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर(1.802 हैक्टेयर)	20 एच	42	11 ता 14	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				18, 19	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				8	0.200 हैक्टेयर	नहरी	1.78
			40	22	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
7	भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (1.834 हैक्टेयर)	20 एच	41	5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				6, 15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				16, 25	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			42	01	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				02	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			40	19	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			74/22		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			74/21		0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरनाम सिंह आदि बनाम कुलविन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 91 आरटीए** मुकदमा नम्बर **63/2021**
निर्णय दिनांक :- 14.03.2024

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 12/18 के मुरब्बा नं0 10, 14, 74/4 की 11.386 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 47/52 के मुरब्बा नम्बर 35, 40, 61 की 1.961 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 48/51 के मुरब्बा नम्बर 35, 42,74/20,74/21 की 5.568 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 56/62 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 41,63, 66, 74/22, 74/35 की 19.837 हेक्टैयर, इसी चक के खाता संख्या 78/80 के मुरब्बा नम्बर 35 की 0.253 हेक्टैयर भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (2.067 हैक्टेयर)	20 एच	14	3, 8, 13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			18,23,24	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			17	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			14	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.12
		40	22	0.169 हैक्टेयर	नहरी	1.50
जरनैल सिंह उर्फ जैला सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (1.950 हैक्टेयर)	20 एच	35	11 ता 14	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
		42	3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			5	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.48
		74/21		0.077 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3 प्रीतम सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (0.823 हैक्टेयर)	20 एच	42	15,16,25	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
		40	19	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.57
4 माड़ा सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर, (1.493 हैक्टेयर)	20 एच	35	18/1	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.35
			19,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		42	5	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
			6,7	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		61	2	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91
5 ज्ञान सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (0.622 हैक्टेयर)	20 एच	42	8	0.053 हैक्टेयर	नहरी	0.47
			9,10	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		40	19	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
6 मलकीयत सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर(1.802 हैक्टेयर)	20 एच	42	11 ता 14	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			18, 19	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			[illegible]	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	1.78
		40	22	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	0.75
7 भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र चनन सिंह, जाति रामगढिया, निवासी चक 20 एच, तहसील श्रीकरणपुर (1.834 हैक्टेयर)	20 एच	41	[illegible]	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	2.03
			6, 15	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	4.50
			16, 25	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		42	01	[illegible] हैक्टेयर	नहरी	2.03
			02	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
		40	19	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
		74/22		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		74/21		0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 19.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/95 दिनांकः 19.03.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:03 IST
Reason: SelfAttested